(उत्तराखण्ड राज्य गठन की दिनांक 09 नवम्बर, 2000 से दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 तक यथासंशोधित)

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास विभाग

संख्याः 1187/औ0वि0/2001–22ख/2001

सचिवालय, देहरादून दिनांक 30 अप्रैल–2001

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश उप–खनिज (परिहार) नियमावली–1963 राज्य में लागू है। अतः अब उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम–2000 (अधिनियम संख्या–29 सन् 2000) की धारा–87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश उप–खनिज (परिहार) नियमावली–1963 उत्तरखण्ड राज्य में निम्नलिखित् प्राविधानों के अधीन अध्यधीन लागू रहेगा :–

उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली–2001 (अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश–2001

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ**

(1) यह आदेश उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली–2001 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001 कहलायेगा,

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. **उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जाना :**

उत्तर प्रदेश उप–खनिज (परिहार) निमयावली–1963 में जहॉ–जहॉ शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां शब्द ''उत्तराखण्ड'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

खण्ड–एक

उत्तर प्रदेश उप–खनिज (परिहार) नियमावली–2001

उत्तर प्रदेश सरकार उद्योग (च) विभाग

विज्ञप्ति, 26 अगस्त, 1963 इं0

1575–एम/18–ख–माइन्स मिनरल्स् (रेगूलेशन एण्ड डेवलेपमेन्ट) एक्ट, 1957 (एक्ट संख्या 67–1957) की धारा–15 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, उत्तराखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते है, अर्थात्

उत्तर प्रदेश उप–खनिज (परिहार) नियमावली, 1963

उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली–2001 (अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश–2001

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त, शीर्षक एवं प्रारम्भ :**

(1) यह नियमावली उप–खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 अनुकूलन एवं उपान्तरण अदेश, 2001

(2) इनका प्रसार समस्त उत्तराखण्ड में होगा।

(3) वे गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रचलित होगें।

(4) यह राज्य में उपलब्ध समस्त उपखनिजों पर प्रवृत्त होगी।

A. *(5) यह नियमावली राज्य सरकार द्वारा सरकारी विभागों, सरकारी निगमों या कानूनी निगमों से खनन कार्य कराने के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।*

A. *(अधिसूचना संख्या 1187, दिनांक 30 अप्रैल, 2001 द्वारा संशोधन)*

2. **परिभाषाये : जब तक की प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :**

(1) ''अधिनियम'' का तात्पर्य माइन्स एण्ड मिनरल्स् (रेगूलेशन एण्ड डेवलपमेन्ट) एक्ट, 1957 (एक्ट संख्या 67 आफ 1957) से है।

(1–क) ''समिति'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा सरकारी अधिसूचना संख्या–4343/18–20–90–601/87 दिनांक 29 अगस्त, 1990 द्वारा गठित समिति से है, जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष और निदेशक के प्रतिनिधि तथा प्रभागीय वन अधिकारी सदस्य होंगे और जिसे राज्य सरकार ने नियम 71 के अधीन आरक्षित वन क्षेत्रों के सम्बन्ध में अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजित कर दी हों।

(1–ख) ''निदेशक'' का तात्पर्य निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड से है।

(2) ''जिला अधिकारी'' से तात्पर्य उस जिले के कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर से है जिसमें भूमि स्थित हैं।

(3) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली के तृतीय अनुसूची में दिये गये प्रपत्र से है।

(3–क) ''स्वस्थानें चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप'' का तात्पर्य चट्टानों के रूप मे पाये जाने वाले खनिज से है और जो अपनी उत्पत्ति के स्थान से विस्थापित न हुआ हो।

(4) ''खनन और स्वामी'' के वही अर्थ होंगें जो माइन्स एक्ट 1952 (एक्ट, संख्या 35, 1952) में दिये गये हैं।

(5) ''खनन सक्रियाओं'' का तात्पर्य किसी उप–खनिज को लब्ध करने के प्रयोजन के लिये की गई सक्रियाओं (opertions) से है।

(6) ''खनन अनुज्ञा–प्रत्र'' का तात्पर्य उस अनुज्ञा–पत्र (परमिट) से है जो इन नियमों के अधीन अनुज्ञा–पत्र में नियत अवधि के भीतर उप–खनिज की निर्दिष्ट मात्रा को निकालने के लिये दिया गया हो।

(7) ''उप–खनिजों का तात्पर्य इमारती पत्थर, बजरी (gravel), मामूली मृदा (clay) नियत प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू (sand) से भिन्न मामूली बालू अथवा किसी ऐसे खनिज से है जिसे केन्द्रीय सरकार ने समय–समय पर घोषित किया है या जिसके उप–खनिज होने के बारे में माइन्स एण्ड मिनरल्स् (रेगूलेशन एण्ड डेवलपमेंट) एक्ट, 1957 (1957 की एक्ट संख्या 67) की धारा–3 के खण्ड (e) के अधीन सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषित करें।

(7–क) ''खनिमुख मूल्य'' का तात्पर्य खनिमुख पर मूल्य या उत्पादन के बिन्दु पर मूल्य उपखनिज के विक्रय–मूल्य से है।

(8) ''रेलवे'' और ''रेलवे के प्रशासन'' के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके लिये इण्डियन रेलवेज एक्ट, 1890 (एक्ट संख्या 9, 1890) में दिये गये हैं।

(9) ''अनुसूची'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है।

(10) ''राज्य'' और ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य क्रमशः उत्तराखण्ड राज्य और उत्तराखण्ड सरकार से है।

3. **खनन संक्रियायें, खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा–पत्र के अधीन होगीः–**

(1) कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में ऐसे उप–खनिज की, जिस पर यह नियमावली प्रयोज्य हो, इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा–पत्र की शर्तों पर प्रतिबन्धों के अधीन और उनके अनुसार के अतिरिक्त कोई खनन संक्रियायें न कर सकेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी बात का प्रभाव इस नियमावली में प्रारम्भ होने के पूर्व यथाविधि दिये गये खनन पट्टा या अनुज्ञा–पत्र की शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अनुरूप की गई खनन सक्रियाओं पर न पड़ेगा।

A (2) "जहां पर खनन कार्य सरकारी विभाग, सरकारी निगमों या कानूनी निगमों द्वारा किया जा रहा हो छोड़कर" कोई खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा–पत्र इस नियमावली के उपबन्धों से भिन्न प्रकार न दिया जायेगा।

B (3) ऐसे उपखनिज क्षेत्र जिसमें निगमों के द्वारा उपखनिज का चुगान कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है या ऐसे क्षेत्र जिसमें उपलब्ध खनिजों के पूर्ण क्षमता का दोहन करने में अक्षम पाये जाते है या ऐसे क्षेत्र जो निगमों के द्वारा रिक्त छोड दिये जाते है, को नियमानसार टेण्डर प्रक्रिया में माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य विपणन/श्रम संविदा समितियों/कॉपरेटिव सोसाइटियों/संस्थाओं एवं निजी व्यक्तियों को पॉच वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टे स्वीकृत किये जायेंगे।

C (1) स्पष्टीकरण – ईंट मिट्टी एवं सड़क भरान हेतु साधारण मिट्टी को निकालने की क्रिया खनन संक्रियाओं के अन्तर्गत नहीं आयेगी जब तक कि खनन स्थल की गहराई 02 मीटर से अधिक न हो।
(2) (1–क) नियम–3 में किसी भी बात के प्रतिकूल होते हुए भी ईंट भट्टा मालिकों तथा सड़क निर्माण संस्था को नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दरों पर रायल्टी का भुगतान करना होगा।

D उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्रों में स्वयं की निजी नापभूमि में स्थल विकास करने के उद्देश्य से पहाड़ी के कटान, बेसमेंट की खुदाई अथवा भूमि के समतलीकरण किये जाने पर निकलने वाली साधारण मिट्टी को उसी निजी नापभूमि के प्लाट या अपने ही किसी अन्यत्र भूखण्ड (प्लाट) पर ले जाता है तो वह खनन की श्रेणी में नहीं आयेगा और इस प्रकार उक्त के सम्बन्ध में ई0आई0ए0 की बाध्यता नहीं होगी, इस हेतु जे0सी0बी0 का प्रयोग किया जा सकता है तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह प्रक्रिया केवल स्वयं के निजी नाप भूमि के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिट्टी पर ही लागू होगी। अन्य खनन संक्रियाओं पर यह लागू नहीं होगी।

यदि उपरोक्तानुसार निजी भूमि के भूखण्ड (प्लाट) से साधारण मिट्टी किसी अन्यत्र स्थान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु परिवहन की जाती है, तो उक्त व्यक्ति को नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दरों पर रायल्टी का भुगतान करना होगा।

<u>स्पष्टीकरण</u>

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु भवनों के बेसमेन्ट से निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटेरियल को रखने की व्यवस्था यदि भवन स्वामी के पास नहीं है और वह उसका व्यवसायिक उपयोग नहीं करता है तो उसे रखने हेतु स्थानीय प्रशासन की अनुमति से संबंधित तहसील के तहसीलदार द्वारा घोषित डम्पिंग जोन में संरक्षित किया जायेगा, जिसका उपयोग भविष्य में मैदान/हैलीपैड आदि बनाने में उपयोग किया जायेगा। यह प्रक्रिया केवल स्वयं के भवन निर्माण के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटेरियल पर ही लागू होगी, इस हेतु रायल्टी में छूट प्रदान की जाती है। डम्पिंग जोन के अतिरिक्त साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटेरियल का अन्यत्र भरान हेतु उपयोग किये जाने पर उपयोगकर्ता द्वारा साधारण मिट्टी की रायल्टी देय होगी।

अतिरिक्त प्रावधान :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं० 1088, दिनांक 28.03.2020 के परिशिष्ट–9 के बिन्दु सं० 3 एवं बिन्दु सं० 13 के प्रावधानान्तर्गत नदी/सहायक नदी/गदेरों के तल से लगी एवं उक्त से भिन्न निजी नाप भूमि के समतलीकरण, वाटर स्टोरेज टैंक, रिसाईक्लिंग टैंक,

मत्स्य तालाब आदि निर्माण क्रियाकलाप को गैर खननकारी क्रियाकलाप के रूप में घोषित करते हुए उक्त गैर खननकारी क्रियाकलाप हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

उक्त के अतिरिक्त ईंट मिट्टी एवं सड़क भरान हेतु साधारण मिट्टी को निकालने की क्रिया खनन संक्रियाओं के अन्तर्गत नहीं आयेगी, जब तक कि खनन स्थल की गहराई 02 मीटर से अधिक न हो।

इन क्रियाकलापों से निकासी किये गये उपखनिज यथा बालू, बजरी, बोल्डर, मिट्टी, मक आदि की निकासी पर नियमानुसार रायल्टी एवं अन्य शुल्क देय होंगे। इस हेतु उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अन्तर्गत आवेदन जिला खान अधिकारी/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की गठित समिति द्वारा स्थलीय संयुक्त निरीक्षण आख्या जिला खान अधिकारी द्वारा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत की जायेगी तथा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।

A *(अधिसूचना संख्या 1187, दिनांक 30 अप्रैल, 2001 द्वारा संशोधन)*

B *(अधिसूचना संख्या 3252, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा संशोधन*

C *(कार्यालय ज्ञाप संख्या 1490, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा संशोधन)*

D *(अधिसूचना संख्या 1824, दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 द्वारा संशोधन*

अध्याय–2
खनन पट्टे का दिया जाना

4. खनन पट्टे के दिये जाने पर निर्बन्धनः

खनन पट्टा किसी ऐसे व्यक्ति को न दिया जायेगा जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।

स्पष्टीकरण :– इस नियम के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति भारतीय राष्ट्रिक समझा जायेगा :–

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 में यथा परिभाषित "public company" (सार्वजनिक कम्पनी) की दशा में, केवल उस स्थिति में जब कम्पनी के अधिकांश निदेशक भारत के नागरिक हों और उसकी अंशपूजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत ऐसे व्यक्ति धारण करते हों, जो या तो भारत के नागरिक हो या कम्पनीज एक्ट, 1956 में यथा परिभाषित "companies" (कम्पनियॉं) हों।

(ख) कम्पनीज एक्ट 1956 में यथा परिभाषित "Private company" (निजी कम्पनी) की दशा में केवल उस स्थिति में जब कम्पनी के सभी सदस्य भारत के नागरिक हों।

(ग) फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ (Other association of individulas) की दशा में केवल उस स्थिति में जब फर्म के सभी सदस्य भारत के नागरिक हों, और

(घ) किसी व्यक्ति विशेष की दशा में, केवल उस स्थिति में जब वह भारत का नागरिक हो।

5. खनन पट्टा दिए जाने या उसके नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्रः

(1) खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र एम0एम0 1 में या उसके नवीकरण के लिये प्रपत्र एम0एम0 1 (क) में राज्य सरकार को सम्बोधित किया जायेगा।

(2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट प्रार्थना पत्र जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी को चार प्रत्तियों में दिया जायेगा। ऐसा अधिकारी सभी चारों प्रत्तियों में, प्रार्थना पत्र की प्राप्ति, उसकी प्राप्ति का स्थान, समय और दिनांक लिखकर पृष्ठांकित करेगा। उसकी एक प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने वाले व्यक्ति को तुरन्त लौटा दी जायेगी।

(3) उप नियम (1) में अभिदिष्ट प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम0एम0–2 में खनन पट्टों के लिये प्रार्थना पत्रों के रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

6– खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना–पत्र शुल्क और जमाः

(1) खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रत्येक प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित होगाः–

B *(क) तीन हजार रूपये का शुल्क*

B *(अधिसूचना संख्या 3252, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा संशोधन)*

(ख) नियम 17 में विनिर्दिष्ट व्ययों से भिन्न अन्य प्रारम्भिक व्ययों को पूरा करने के लिये दो हजार रूपये की जमा

और

(ग) भू–कर सर्वेक्षण मानचित्र (कैडेस्ट्रल सर्वेमैप) की चार प्रतियां, जिसमे वह क्षेत्र, जिसके लिये प्रार्थना –पत्र दिया जाना है, स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो और भू–कर सर्वेक्षण के अन्तर्गत न आने वाले ऐसे क्षेत्र की स्थिति में धरातल सर्वेक्षण मानचित्र (टोपोग्राफिकल सर्वे मैप,) ऐसे पैमाने पर, जिसमें कम से कम 4"–1 मील हो, की चार प्रतियां, जिसमें वह क्षेत्र जिसके लिये प्रार्थना पत्र दिया गया है, ठीक–ठीक चिन्हांकित हो।

(घ) जिला अधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा जो जिला अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाय, जारी किया गया प्रमाण–प्रत्र जिसमें यह दर्शाया गया हो कि प्रार्थी के विरूद्व कोई खनन देय राशि बकाया नहीं हैः–

प्रतिबन्ध यह है कि प्रार्थी ने यह कथन करते हुये कि राज्य क्षेत्र के भीतर वह कोई खनन पट्टा या कोई अन्य खनिज परिहार धारित नहीं करता है या धारित नही किया था, राज्य सरकार के सन्तोषानुसार शपथपत्र दे दिया है, वहां ऐसे प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(ड) जहां प्रार्थना पत्र बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली–जुली अवस्था में उपलब्ध हो, वहां आवेदक की जाति और निवास का प्रमाण–पत्र।

(2) यदि प्रार्थना पत्र किसी प्रकार से पूरा नहीं है या उसके साथ उप नियम (1) में उल्लिखित शुल्क जमा या अभिलेख नहीं है, तो जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी नोटिस द्वारा प्रार्थी से, ऐसे समय के भीतर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रार्थना पत्र के सभी प्रकार से पूरा करने या शुल्क जमा करने या अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा करेगा और वह दिनांक जब प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से पूरा हो, नियम 9 के प्रयोजन के लिये प्रार्थना पत्र की प्राप्ति का दिनांक समझा जायेगा।

6–क. खनन पट्टा का नवीकरण के लिये प्रार्थना पत्र शुल्क आदिः

खनन पटटा के नवीकरण के लिये प्रार्थना–पत्र, पट्टे की अवधि की समाप्ति के दिनांक से, कम से कम छः माह पूर्व, पट्टे द्वारा धृत क्षेत्र के मानचित्र, जिसमें व क्षेत्र स्पष्ट से प्रदर्शित हो, जिसके नवीकरण के लिये प्रार्थना की गई हो, की चार प्रतियों सहित दिया जा सकेगा और नियम 6 के उपनियम (1) खण्ड (क) और (ख) के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

7– जांच और प्रतिवेदनः

जिला अधिकारी, जब तक कि वह खनन पट्टा देने या उसका नवीकरण करने के लिये प्राधिकृत न हो, सभी सुसंगत मामलों की जांच करायेगा और खनन पट्टे का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के दिनांक से दो माह के भीतर प्रार्थना पत्र की दो प्रातियां अपने प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार या ऐसे अन्य अधिकारी को भेजेगा जिसे राज्य सरकार तदर्थ प्राधिकृत करे।

8– प्रार्थना पत्र का निस्तारणः

(1) राज्य सरकार या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत प्राधिकारी, इस नियमावाली के उपबंधो के अधीन रहते हुये और ऐसी अग्रेतर जांच, हो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चातः–

(क) खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र की स्थिति में या तो प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर सकती है या आवेदित के पूरे या उसके किसी भाग के लिये ऐसी अवधि के लिये, जैसी वह उचित समझें, खनन पट्टा स्वीकृत कर सकती है।

(ख) खनन पट्टे के नवीकरण के लिये प्रार्थना पत्र की स्थिति में या तो प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर सकती है या आवेदित क्षेत्र के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग के लिये और मूल पट्टे की अवधि से अनधिक ऐसी अवधि के लिये, जो वह उचित समझे, खनन पट्टे का नवीकरण कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि जब खनन पट्टा देने या उसके नवीकरण का प्रर्थाना पत्र अस्वीकार किया जाता है या क्षेत्र में कमी की जाती है तो उसके कारण अभिलिखित किये जायेंगे और आवेदक को संसूचित किये जायेंगे।

(2) किसी प्रार्थना पत्र को

(क) खनन पट्टे का प्रार्थना पत्र, यथास्थिति, उसकी प्राप्ति के दिनांक से या उस दिनांक से जब उसे नियम 6 के उप नियम (2) के अधीन प्राप्त हुआ समझा गया हो, छः माह के भीतर निस्तारित किया जायेगा और यदि वह उक्त अवधि में निस्तारित नहीं किया जाता है तो खनन पट्टा अस्वीकार कर दिया गया समझा जायेगा।

(ख) खनन पट्टे के नवीकरण के लिये प्रार्थना पत्र उसकी प्राप्ति के दिनांक से चार माह के भीतर निस्तारित किया जायेगा और यदि उक्त अवधि में निस्तारित नहीं किया जाता है तो खनन पट्टा अपनी अवधि की समाप्ति से छः माह के लिये नवीकृत किया गया समझा जायेगा। पट्टे के नवीकरण की स्थिति में वह मूल पट्टे की समाप्ति के दिनांक से प्रारम्भ होगा।

B 9– कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकार :

(1) ऐसे खनन क्षेत्र जो राज्य सरकार द्वारा चिन्हीकरण कर विज्ञापित किया गया है वहां ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि के अन्तर्गत प्राप्त हुए हैं, को नियम–9 के अन्तर्गत खनन पट्टा के अधिमानी अधिकार हेतु एक ही दिन व समय में प्राप्त हुआ माना जायेगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि जहां ऐसे प्रार्थना पत्र एक ही दिन प्राप्त हुये हों, वहां राज्य सरकार उपनियम–(2) में विर्निदिष्ट बातों पर विचार करने के पश्चात खनन पट्टा प्राथियों में किसी एक ऐसे प्रार्थी को दे सकती है जो वह उचित समझे।

(2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट बातेः

***B** (क) भू–स्वामी है या भूस्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक को छोडकर अन्य आवेदक हेतु खनन संक्रियाओं में विशिष्ट ज्ञान अथवा अनुभव।*

(ख) भू–स्वामी है या भूस्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक को छोडकर अन्य आवेदन हेंतु वित्तीय संशोधन उस खनन पट्टा क्षेत्र पर निर्धारित अपरिहार्य भाटक के दोगुना से कम नही होना चाहिए।

(ग) प्रार्थी द्वारा सेवायोजित या सेवायोजित किये जाने वाले प्राविधिक कर्मचारी वर्ग (स्टाफ) की प्रकृति और गुणवत्ता;

(घ) किसी पूर्व पट्टे या अनुज्ञा पत्र के आधार पर खनन संक्रियाओं को कार्यान्वित करने में और ऐसे पट्टे या अनुज्ञा पत्र की शर्तों या उसके सम्बन्ध में किसी विधि के उपबन्धों का पालन करने में प्रार्थी का आचरण; और

(ड) ऐसे अन्य बातें जो राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझी जायें;

B (अधिसूचना संख्या 3252, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा संशोधन)

(3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुये भी किन्तु उपनिमय (1) के उपबन्धों के अधीन रखते हुये सरकार किन्ही विशेष कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी ऐसे प्रार्थी को जिसका प्रार्थना पत्र पहले प्राप्त हुआ हो, अधिमान में, किसी ऐसे प्रार्थी को, जिसका प्रार्थना पत्र बाद में प्राप्त हुआ हो पट्टा दे सकती है।

B 9– क– बालू आदि के सम्बन्ध में कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकारः–
राज्य के स्थायी निवासी, तथा खनिज पर आधारित उद्योग यथा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी अथवा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापित करने वाले व्यक्ति जो उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो को खनन पट्टा दिये जाने हेतु प्राथमिकता दी जायेगी तथा किसी भी व्यक्ति/संस्था को एक से अधिक पट्टा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10– अधिकतम क्षेत्र जिसके लिये खनन पट्टा दिया जा सकता हैः–
किसी भी व्यक्ति/संस्था को पॉच हैक्टेयर से अधिक के खनन पट्टे तथा किसी भी व्यक्ति/संस्था को एक से अधिक पट्टा स्वीकृत नही किया जायेगा।
प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में, ऐसा करना आवश्यक है तो वह उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी व्यक्ति को एक या एक से अधिक खनन पट्टे जिसके अन्तर्गत उपर्युक्त अधिकतम पॉच हैक्टेयर से अधिक का क्षेत्र हो अर्जित करने की अनुमति दे सकती है।

स्पष्टीकरण :– इस नियम के प्रयोजनों के लिये यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा या दूसरे व्यक्ति के नाम से ऐसा खनन पट्टा अर्जित करे जो स्वयं उसके ही लिये अभिप्रेत हो, तो यह समझा जायेगा कि वह उसे स्वयं अपने लिये अर्जित कर रहा है।

E "11– पट्टे पर दिये जाने वाले क्षेत्र की लम्बाई और चौडाई एवं खनन/अनुज्ञा हेतु अनुमत गहराई :
*खनन पट्टे के अधीन किसी क्षेत्र की लम्बाई साधारणतया उसकी चौड़ाई के चार गुना से अधिक न हो तथा उप–खनिज का खनन/चुगान अधिकतम 3.0 मी0 (तीन मीटर) की गहराई या **Underground Water Lable** जो भी न्यून हो तक किया जायेगा।"*

B 12:– खनन पट्टे की अवधि :–
(1) उपनियम (2) में की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये, वह अवधि जिसके लिये खनन पट्टा दिया जा सकता है, पॉच वर्ष से अधिक न होगी।

B (अधिसूचना संख्या 3252, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा संशोधन)

E (अधिसूचना संख्या 334, दिनांक 04 मार्च, 2020 द्वारा संशोधित)

B *(2) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी अवधि के लिये खनन पट्टे दे सकती है, जो पॉच वर्ष से अधिक हो किन्तु दस वर्ष से अधिक न हो।*

13– प्रतिभूति जमा :

नियम 14 में अभिदिष्ट विलेख के निष्पादन के पूर्व खनन पट्टे का प्रार्थी पट्टे के निबन्धनों और शर्तो के उचित पालन के लिये रू0 2000.00 (रू0 दो हजार मात्र) की निम्नतम सीमा के अधीन वार्षिक अपरिहार्य भाटक (डेड रेंट) या पट्टाकृत क्षेत्र की वार्षिक पट्टा धनराशि के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि प्रतिभूति के रूप में, उस प्रकार जमा करेगा, जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा विर्निदिष्ट करे। ऐसी प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज देय न होगा।

14– पट्टा विलेख तीन मास के भीतर निष्पादित किया जायेगा :–

(1) यदि बालू, मौरम बजरी, और बोल्डर के लिये खनन पट्टा से भिन्न, खनन पट्टा दिये जाने की अनुमति दे दी गई हो तो प्रपत्र एम0एम0–3 में या लगभग उसके समान प्रपत्र में जैसा कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों से अपेक्षित हो, उक्त आज्ञा के सूचना के दिनांक से तीन मास के भीतर, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जिसकी राज्य सरकार तदर्थ अनुमति दे, पटटा विलेख निष्पादित किया जायेगा और यदि प्रार्थी की ओर से किसी चूक के कारण उपयुक्त अवधि के भीतर ऐसा पटटा विलेख निष्पादित न किया जाय तो राज्य सरकार पट्टा देने की अनुमति को रद्द कर सकती है और उस दशा में प्रार्थना पत्र शुल्क और प्रतिभूति धनराशि राज्य सरकार के प्रति जब्त हो जायेगी।

B *उपनियम–(2) उपनियम–(1) में विर्निदिष्ट खनन पट्टे के प्रारम्भ होने का दिनांक वह दिनांक होगा जब उक्त उपनियम के अधीन निष्पादित विलेख का पंजीकरण उप निबंधक द्वारा किया जाय।*

(3) यदि बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली–जुली अवस्था में हो, के लिये खनन–पट्टा दिये जाने का आदेश दे दिया गया हो, वहां वार्षिक पट्टा धनराशि का पच्चीस प्रतिशत, आदेश के दिनांक से सात दिन के भीतर या सात दिन से अनधिक ऐसी अग्रतर अवधि के भीतर जैसी जिला अधिकारी अनुमति करे, जमा कर दी जायेगी और प्रपत्र एम0एम0 3 में या लगभग उसके समान प्रपत्र में, जैसा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, एक पट्टा विलेख, उक्त आदेश के संसूचना के दिनांक से एक माह के भीतर या ऐसी अग्रतर अवधि के भीतर, जैसी राज्य सरकार तदर्थ अनुमति करे, निष्पादित कर दिया जायेगा।

बालू एवं मोरम के संबंध में वार्षिक पट्टा धनराशि उस क्षेत्र से विगत तीन वर्षों में प्राप्त धनराशि के औसत के आधार पर या ऐसे क्षेत्र से पूर्ववर्ती वर्ष में प्राप्त धनराशि जो भी उच्चतर हो निर्धारित की जायेगी और बालू, बजरी और बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली–जुली अवस्था में हो, उन क्षेत्रों में पूर्ववर्ती तीन वर्षों में प्राप्त अधिकतम आय के आधार पर निर्धारित की जायेगी। यदि प्रार्थी की ओर से किसी चूक के कारण उपर्युक्त अवधि में पट्टा धनराशि जमा नहीं की जाती है या पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार पट्टा देने वाले आदेश को प्रतिसंहत (रद्द) कर सकती है और उस दशा में प्रार्थना पत्र शुल्क प्रतिभूति धनराशि राज्य सरकार के प्रति जब्त हो जायेगा।

B *(अधिसूचना संख्या 3252, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा संशोधन)*

B उपनियम–(4)–उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट खनन पट्टे के प्रारम्भ होने के दिनांक वह दिनांक उक्त उप नियम के अधीन विलेख निष्पादित के उपरान्त उपनिबन्धक द्वारा पंजीकरण किये जाने का दिनांक होगा।

(5) उपनियम (3) में निर्दिष्ट नीचे अनुसूची के स्तम्भ–1 में उल्लिखित एक वर्ष की अवधि के भीतर स्वीकृत पट्टे की स्थिति में वार्षिक पट्टा धनराशि पट्टे की अवधि के प्रथम तथा अनुवर्ती वर्षो के लिये वार्षिक पट्टा धनराशि के ऐसे प्रतिशत की किश्तों में और ऐसे दिनांक के पूर्व, जो उसके सम्बन्धित स्तम्भ में प्रत्येक के सामने उल्लिखित है जमा की जायेगी, अर्थात :

B (6) मा0 उच्चतम न्यायालय के एन0पी0वी0 मुक्त निगम/संस्था खनन/चुगान प्रारम्भ करने से पूर्व निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 तीन माह के अन्तर्गत हस्ताक्षरित करेंगे तथा एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर करने के उपरान्त निदेशक द्वारा निर्गत अनुमति के पश्चात् ही उपखनिज का चुगान/खनन कार्य प्रारम्भ करेंगे।

जमा की अनुसूची

अवधि जिसमे पट्टा दिया जाय	उपनियम(3) के अधीन जमा पट्टा धनराशि का प्रतिशत	प्रथम वर्ष की किश्तें			अनुवर्ती वर्षो की किश्तें		
1	2	3			4		
जनवरी से मार्च	25 %	प्रथम 25% 1 जनवरी	द्वितीय 25 % 1 अक्टूबर	तृतीय 25 % 1 जनवरी	प्रथम 50 % 1 अप्रैल	द्वितीय 25 % 1 अक्टूबर	तृतीय 25 % 1 जनवरी
अप्रैल से जून	25%	25 % 1 अक्टूबर	25 % 1 जनवरी	–	25 % 1 अक्टूबर	25 % 1जनवरी	50 % 1अप्रैल
जुलाई से सितम्बर	25 %	25 % 1 जनवरी	25 % 1 जनवरी	–	25 % 1अक्टूबर	25 % 1 जनवरी	50 % 1 अप्रैल
अक्टूबर से दिसम्बर	25 %	25 % 1अप्रैल	25 % 1 जुलाई	–	25 % 1 अक्टूबर	25 % 1 जनवरी	50 % 1 अप्रैल

15– शुल्क की वापसी :–

(1) यदि खनन पट्टा दिये जाने के लिये अथवा उसके नवीकरण के लिये प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया जाये तो नियम 6 के उपनियम (1) या नियम 6–क के अधीन प्रार्थी द्वारा किया गया शुल्क उसको वापस कर दिया जायेगा।

(2) यदि नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन जमा की गयी धनराशि पूर्णतः या अंशतः उक्त खण्ड में निर्दिष्टि प्रयोजनों के लिये व्यय न की गयी हो तो वह प्रार्थी को वापस कर दी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये व्यय की जाने वाली धनराशि उसके अधीन जमा की गयी धनराशि से अधिक हो, तो प्रार्थी को ऐसी अतिरिक्त धनराशि जमा करनी पड़ेगी जो राज्य सरकार निश्चित करे।

(3) यदि राज्य सरकार किसी विशेष मामले के तथ्यों को ध्यान रखकर अन्यथा आदेश न दे, प्रार्थना–पत्र शुल्क, प्रार्थना–पत्र को वापस लिये जाने पर, वापस न किया जायेगा।

B अधिसूचना संख्या 3252, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा संशोधन)

(4) उपनियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुये भी, खनन पट्टा दिये जाने के लिये या उसके नवीकरण के लिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से किसी चूक के कारण अस्वीकार कर दिया जाये तो प्रार्थना–पत्र शुल्क और प्रारम्भिक व्यय वापस नहीं किया जायेगा और राज्य सरकार के प्रति जब्त हो जायेगा।

16– पट्टे की समाप्ति पर निर्वन्धन :–

कोई भी पट्टेदार राज्य सरकार को कम से छः माह की लिखित नोटिस देने के पश्चात ही खनन पट्टा समाप्त होगा।

B 17– पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का सर्वेक्षण :–

(1) जब खनन पट्टा दिया जाय तो निदेशक द्वारा पट्टे पर दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन का प्रबन्ध किया जायेगा जिसके लिये पट्टेदार से निम्नलिखित दर प्रभार लिया जायेगा:–

B राज्य के समस्त खनन पट्टा क्षेत्र में:–

(एक) 05 है0 क्षेत्र तक लिये रू0 5000.00

(दो) 05 है0 क्षेत्र से अधिक क्षेत्र के लिए प्रति है0 तक रू0 1000.00 की दर से अतिरिक्त।

(2) पट्टेदार, उसे पट्टा दिये जाने के पश्चात ट्रेजरी चालान द्वारा सीमांकन प्रभार देगा और पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का जिला अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक मानचित्र सम्बन्धित खान अधिकारी को या अधिकारी को या ऐसे अधिकारी को, जिसे निदेशक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, प्रस्तुत करेगा। खान अधिकारी या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी प्रमाणित मानचित्र प्राप्त होने और सन्तुष्ट होने पर कि सीमांकन प्रभार जमा कर दिया गया है, ऐसी प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर क्षेत्र सर्वेक्षण और सीमांकन कर देगा।

(3) खान अधिकारी या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी, क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन के प्रयोजनार्थ जिले के राजस्व और वन विभाग के ऐसे अधिकारी की सहायता ले सकता है जैसा वह आवश्यक समझे।

(4) यदि क्षेत्र के सीमांकन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो मामला निदेशक को अभिदिष्ट कर दिया जायेगा, जो पक्षकारों की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात मामले का विनिश्चिय करेगा।

(5) उपनियम (1) के अधीन निदेशक का विनिश्चय अन्तिम होगा।

18– भूतल के नीचे सीमाये :

खनन पट्टे के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की सीमायें भूतल के नीचे पृथ्वी के केन्द्र की ओर, अधोदिशा (vertically) में होगी।

19. पट्टे का संक्रमण :

(1) पट्टेदार :

(क) किसी खनन पट्टे को उसमें किसी अधिकार स्वत्व या हित को न हो तो अभ्यर्पित करेगा न शिकमी पर देगा न बंधक रखेगा न किसी अन्य रीति से उसका संक्रमण करेगा,
या

(ख) न तो कोई प्रबंध, संविदा या समझौता करेगा, जिसके द्वारा पट्टेदार पर्याप्त मात्रा में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा वित्त पोषित किया जा सकता है, या जिसमें खनन संक्रियायें किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय द्वारा पर्याप्त रूप से नियंत्रित की जा सकती है।

B (अधिसूचना संख्या 3252, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा संशोधन

प्रतिबंध यह है कि पट्टेदार राज्य सरकार से पूर्वानुमोदन से और ऐसी शर्ते और निवर्बन्धनों के अधीन, जैसा राज्य सरकार द्वारा आरोपित की जाय, खनन पट्टे या उसमें किसी अधिकार, स्वत्व या हित को सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणधीन किसी वित्त निगम अथवा भारतीय रिजर्व बैक अधिनियम 1934 की धारा (2) के खण्ड (क) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या बैंकिग कम्पनीय (उपक्रमों या अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970 की प्रथम अनुसूची के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्टि किसी बैंक को बंधक कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को अभ्यर्पित कर सकता है।

(2) यदि राज्य सरकार की राय में पट्टेदार ने खनन पट्टे को या उसमें किसी अधिकार स्वत्व या हित को अभ्यर्पण, शिकमी, बंधक द्वारा किसी अन्य रीति से किसी को संक्रमित कर दिया है या राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई प्रबन्ध, संविदा या समझौता करा लिया है या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट किसी शर्त या निबंधन का उल्लघंन किया है तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय पट्टे को समाप्त कर सकती है।

20– रजिस्टर :

जिला अधिकारी के कार्यालय में निम्नलिखित रजिस्टर रखे जायेंगेः–

(क) प्रपत्र एम0एम0 2 में खनन पट्टो के लिये प्रार्थना–पत्रों का रजिस्टर, और

(ख) प्रपत्र एम0एम0– 4 में खनन पट्टो का रजिस्टर।

अध्याय –3
स्वामित्व (रायल्टी) और अपरिहार्य भाटक का भुगतान

21– स्वामित्व :

(1) इस नियमावली के लागू होने की दिनांक को या उसके पश्चात दिये गये खनन पट्टे का धारक, किसी ऐसे खनिज के सम्बन्ध में जिसे उसने पट्टे पर दिये गये क्षेत्र से निकाला हो, इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय निर्दिष्ट दरों पर स्वामित्व का भुगतान करेगा।

(2) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी खनिज के स्वामित्व (royalty) की दर को ऐसे दिनांक से जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाये, शामिल करने से बहिष्कृत करने अथवा बढ़ाने या घटाने के लिये प्रथम अनुसूची को संशोधित कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी खनिज के सम्बन्ध में स्वामित्व की दर को तीन वर्ष की किसी अवधि में एक बार से अधिक नही बढायेगी और स्वामित्व की दर को खनिमुख मूल्य (Pits mouth value) के 20 प्रतिशत से अधिक पर निश्चित नहीं करेगा।

(3) यदि खनिज के खनिमुख मूल्य पर स्वामित्व लिया जाने वाला हो तो राज्य सरकार ऐसे मूल्य का निर्धारण पट्टा देते समय कर सकती है और स्वामित्व की दर पट्टा विलेख में उल्लिखित की जायेगी। राज्य–सरकार वर्ष में अधिक बार खनिमुख मूल्य का पुनः निर्धारण कर सकेगी यदि वह इसको बढाया जाना आवश्यक समझे।

22– अपरिहार्य भाटक : खनन पट्टे का धारक पट्टे की अवधि में पट्टे के प्रत्येक वर्ष के लिये अपरिहार्य भाटक के रूप में, ऐसे धनराशि का किस्तों में अग्रिम रूप से भुगतान करेगा, जैसी इस नियमावली की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दरों पर राज्य सरकार द्वारा पट्टा विलेख में विनिर्दिष्ट की जायें, और यदि पट्टे की शर्तें उसी क्षेत्र में एक से अधिक खनिज निकालने की अनुमति देती है तो ऐसे प्रत्येक खनिज के लिये उक्त अपरिहार्य भाटक का भुगतान पृथक–पृथक रूप से किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि पट्टेदार प्रत्येक खनिज के संबंध में अपरिहार्य भाटक या स्वामित्व (रायल्टी) की धनराशि का, जो भी अधिक हो देनदार होगा किन्तु दोनों का नहीं।

अध्याय –4
नीलाम–पट्टा

F *23– नीलाम/निविदा/नीलाम एवं निविदा/ई–नीलाम/ई–निविदा/ई–निविदा एवं सह ई–नीलामी पट्टा के लिये क्षेत्र की घोषणा :*

(1) राज्य सरकार या निदेशक सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे किसी राजस्व एवं वन क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की, जिसे या जिन्हें नीलाम करके निविदा द्वारा या नीलाम एवं निविदा एवं ई–नीलाम/ई–निविदा/ई–निविदा सह ई–नीलामी पट्टे पर दिया जा सकेगा, घोषणा कर सकेगी।

1(क) नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में उपलब्ध उपखनिज के खनन/चुगान के पट्टों का आवंटन पूर्ववत् नियमावली के अध्याय–2 के नियमानुसार किया जायेगा।

G *(2) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुये, किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों को एक बार में ई– निविदा सह ई–नीलामी द्वारा नदी तल उपखनिजों के चुगान/खनन पट्टा 05 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। स्वस्थानें प्रकृति के औद्योगिक उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) के खनन क्षेत्र, जिनका क्षेत्रफल 2.00 है0 से 5.00 है0 हेतु 10 वर्ष, 5.00 है0 से 10 है0 तक 15 वर्ष तथा 10 है0 से अधिक क्षेत्रफल हेतु 25 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना आशय पत्र अर्थात् राज्य सरकार द्वारा प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक (ऐसा सफल ई–नीलामी बोलीदाता, जो अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का 10 प्रतिशत धनराशि जमा कर दिया हो) के पक्ष में निर्गत ऐसा आदेश, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र हेतु निर्धारित समयावधि में वांछित अनुमतियां प्राप्त किये जाने का उल्लेख हो, जारी होने की तिथि से की जायेगी।*

(3) उप नियम (1) के अधीन किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की घोषणा किये जाने पर, इस नियमावली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबन्ध उस क्षेत्र अथवा क्षेत्रों पर लागू नहीं होगे जिसके या जिनके सम्बन्ध में घोषणा जारी कर दी गयी है। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को इस अध्याय में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पट्टे पर दिया जा सकेगा।

(4) उप नियम (1) के अधीन घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों को उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति यथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, सिंचाई विभाग (केवल नदी तल क्षेत्रों हेतु), वन विभाग या अन्य कोई विभाग आवश्यक हो तो, निर्धारित दिनांक के पूर्व न्यूनतम बोली या प्रस्ताव निर्धारित करने के लिये खनिज के गुण और मात्रा का मूल्यांकन कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेंगी तथा जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को, ई–नीलाम/ई–निविदा/ ई–निविदा एवं सह ई–नीलामी हेतु प्रेषित किया जायेगा।

24– ई–नीलाम/ई–निविदा/ई–निविदा, सह ई–नीलामी पट्टा से क्षेत्र का वापस लिया जाना :

राज्य सरकार घोषणा, द्वारा नियम 23 के उप नियम (1) के अधीन घोषित किसी क्षेत्र या क्षेत्रों या उसके किसी भाग को निर्दिष्ट पट्टे पर देने की किसी प्रथा से वापस ले सकेगी और घोषणा में विनिर्दिष्ट वापसी दिनांक से, जो इस अध्याय के अधीन दिये गये पट्टे की साधारण अवधि के दौरान वापसी का दिनांक न होगा, इस नियमावली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबन्ध उस क्षेत्र या क्षेत्रों पर लागू होंगे।

25– नीलाम/निविदा/नीलाम एवं निविदा/ई–नीलाम / ई–निविदा/ ई–निविदा एवं सह ई–नीलामी पट्टा के लिये घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों का रजिस्टर :

खान अधिकारी/खान निरीक्षक नियम 23 के उप नियम (1) के अधीन क्षेत्रों का एक रजिस्टर प्रपत्र एम0एम0 5 में रखवायेगा।

F *(अधिसूचना संख्या 470, दिनांक 05 मई, 2020 द्वारा संशोधित)*

G *(अधिसूचना संख्या 1582,दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 द्वारा संशोधित)*

***G** 26– पट्टे के देने पर निर्बन्धन :–*

किसी व्यक्ति को, जो भारतीय राष्ट्रिक नही है, जिसके विरूद्ध खनिज देय बकाया है, जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया है, जिसने अपने आधार कार्ड प्रति प्रस्तुत न की हो। किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी, जो किसी भी राज्य में नियत तिथि (जिस तिथि को निविदा प्रक्रिया में भाग लिया जायेगा) को ब्लैक लिस्टेड/डिबार्ड नहीं है, इस आशय का एक शपथ पत्र भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त फर्म एवं कम्पनी के मामले में, जिसने पेन कार्ड जी0एस0टी पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो, नीलाम/निविदा/नीलाम एवं निविदा/ई–नीलाम /ई–निविदा/ई–निविदा एवं सह ई–नीलामी की बोली बोलने या पट्टे के लिये निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

27– नीलाम द्वारा पट्टा स्वीकृत करने की प्रक्रिया :–

नियम 23 के उप नियम (1) के अधीन नीलाम द्वारा पट्टे की स्वीकृति के लिये क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :–

(क) नियम 71 के अधीन, जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत समिति, जिसे एतद्पश्चात समिति कहा गया है, नीलाम के दिनांक के कम से कम तीन दिन पूर्व नीचे दी गई रीति में सूचना देगा, जिसमें नीलाम का दिनांक, समय एव स्थान इंगित होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी भी कारण से नीलामी किसी कारणवश पूरी न हुई हो वहां कम से कम सात दिन की अल्प नोटिस देने के पश्चात् नई नीलामी की जा सकती है।

(एक) नोटिस की प्रतियां जिला अधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर और उस क्षेत्र के निकट किसी सुविधाजनक स्थान पर चिपकाई जायेगी।

(दो) नोटिस की एक प्रति गांव सभा को या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी को भेजी जायेगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में भूमि स्थित हो।

(तीन) सर्वसाधारण की सूचना के लिये नोटिस उस क्षेत्र में डुग्गी पिटवाकर दी जायेगी, जहां भूमि स्थित हो, और

(चार) किसी ऐसे अन्य रीति से, जैसी राज्य सरकार द्वारा निर्देशित की जाय।

(ख) जिला अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को नीलाम के लिये पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर सकता है।

(ग) क्षेत्र या क्षेत्रों का ब्यौरा तथा पट्टे की निबन्धन और शर्तें बोली बोलने के इच्छुक व्यक्तियों को नीलाम के समय पढ़ कर सुनाई जायेगी।

(घ) कोई व्यक्ति, जो बोली बोलने का इच्छुक हो, पीठासीन अधिकारी के पास बयाने (अर्नेस्ट मनी) के रूप में दो हजार रूपये अग्रिम जमा करेगा।

(ड) (एक) नीलामी की समाप्ति पर, परिणाम की घोषणा की जायेगी और अनन्तिम रूप से चुना गया बोली बोलने वाला पट्टा विलेख के निष्पादन के लिये और पट्टे के निबन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिये प्रतिभूति के रूप में बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में उतनी ही धनराशि तुरन्त जमा करेगा। बोली तब तक स्वीकृत नहीं समझी जायेगी जब तक कि यथास्थिति, राज्य सरकार या जिला अधिकारी या समिति उसे स्वीकार न कर ले।

(दो) चुना गया बोली बोलने वाला किसी संक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया शोधनक्षमता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा और अपना स्थायी पता देगा।

(च) बयाना नीलाम के अन्त में वापस कर दिया जायेगा, सिवाय उसके जो अनन्तिम रूप में चुने गये बोली बोलने वाले द्वारा जमा किया गया हो, उसके मामले में बयाने को प्रतिभूति के रूप में समायोजित कर दिया जायेगा।

(छ) पीठासीन अधिकारी पत्रादि, यथास्थिति, जिला अधिकारी या समिति को प्रस्तुत करेगा।

27– क. निविदा द्वारा पट्टा दिये जाने की प्रक्रिया – नियम 23 के उपनियम(1) के अधीन किसी क्षेत्र या क्षेत्रों को निविदा द्वारा पट्टा दिये जाने के लिये क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों के सम्बन्ध मे निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी ।

(क) (एक) जिला अधिकारी या समिति निविदाओं के प्रस्तुत किये जाने के अन्तिम दिनांक से कम से कम तीस दिन पूर्व किसी ऐसे दैनिक हिन्दी समाचार–पत्र में जिसका उस जिले मे परिचालन हो, जिसमें वह क्षेत्र या वे क्षेत्र स्थित है, निविदा सूचना प्रकाशित करवाकर निविदायें आमंत्रित करेंगे। निविदा में पट्टे की निबन्धन और शर्ते और निविदा प्रस्तुत किये जाने के अन्तिम दिनांक और समय और उस स्थान सहित जहां निविदायें प्रस्तुत की जा सकती हैं, क्षेत्र या क्षेत्रों के ब्यौरे होंगे।

(दो) निविदा सूचना की प्रतिलिपियां जिला अधिकारी के कार्यालय में सूचना पट पर और उस क्षेत्र के समीप किसी सुविधाजनक स्थान पर चिपकायी जायेगी।

(ख) जिला अधिकारी निविदा कार्यावाहियों को संचालित करने के लिये अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है।

(एक) कोई भी व्यक्ति, जो नियम 26 के अधीन अपात्र न हो, अपने हस्ताक्षर से, निविदा यथास्थिति, जिला अधिकारी या समिति को संबोधित मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत कर सकता है जिसमें निम्नलिखित बातें होगी।

(क) निविदाकार का नाम, पिता का नाम और पता (स्थाई और अस्थाई)

(ख) उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिये उसने निविदा प्रस्तुत की है।

(ग) दी गई धनराशि शब्दों और अंको में।

B (घ) जिलाधिकारी के पक्ष में बयाने के लिये रूपये पॉच हजार रूपये बैंक ड्राफ्ट।

(ड) इस घोषणा के साथ कि कोई खनन सम्बन्धी देय उस पर बाकी नही है जिला अधिकारी का एक प्रमाण–पत्र या इस आशय का एक शपथ–पत्र।

(च) किसी समक्ष राजस्व अधिकारी द्वारा जारी की गयी बैंक गारन्टी या सम्पत्ति प्रमाण पत्र या शोधन क्षमता प्रमाण– पत्र और स्थायी पता।

(2) यदि उप खण्ड (1) की अपेक्षानुसार कोई सूचना, प्रमाण–पत्र या दस्तावेज प्रस्तुत न किया जाय, तो पीठासीन अधिकारी द्वारा निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

(ग) पीठासीन अधिकारी निविदाओं को निविदाकारों की उपस्थिति में खोलेगा, यदि वे निविदा खोलने के समय उपस्थित हों और विभिन्न निविदाओं में दी गई धनराशि की घोषणा करेगा। ऐसे निविदाकार को, जिसने अधिकतम धनराशि की है, निविदा में प्रस्तावित धनराशि का 25 प्रतिशत पट्टा विलेख के निष्पादन के लिये प्रतिभूति के रूप में और पट्टे की निबन्धनों और शर्तों के सम्यक् अनुपालन के लिये और स्वामित्व की प्रथम किश्त के रूप में उतनी ही धनराशि तुरन्त जमा करना होगा, निविदा को स्वीकृत नहीं समझा जायेगा जब तक की राज्य सरकार या जिला अधिकारी या समिति उसे स्वीकार न करे।

B (अधिसूचना संख्या 3252, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा संशोधन)

(घ) बयाने के रूप में जमा किये गये बैंक ड्राफ्टों को निविदाकारों को वापस कर दिया जायेगा सिवाय उस बैंक ड्राफ्ट के जो उस निविदाकार द्वारा जमा किया गया है, जिसका प्रस्ताव अधिकतम पाया जाय जिसके सम्बन्ध में उसे प्रतिभूति में समायोजित कर दिया जायेगा।

(ड.) पीठासीन अधिकारी पत्रादि को, यथास्थिति जिला अधिकारी या समिति को प्रस्तुत करेगा।

27– ख. नीलामी एवं निविदा द्वारा पट्टे की स्वीकृति की प्रक्रिया :

(1) जहां जिला अधिकारी और समिति की यह राय हो कि नीलाम एवं निविदा द्वारा पट्टे की स्वीकृति करना समाचीन है वहां यथास्थिति, वह या समिति एक साथ निविदा आमंत्रित करेंगे और नीलाम के लिये दिनांक समय और स्थान का निर्धारण करेंगे।

(2) जिला अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर सकता है।

(3) कोई निविदाकार भी एक ही क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये किसी नीलामी में बोली लगाने में भाग लेने के लिये पात्र होगा।

(4) निविदाकार को नीलामी के स्थान पर उपस्थित होना चाहिए।

(5) पीठासीन अधिकारी नीलामी के प्रारम्भ होने पर किसी विशेष क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये प्राप्त निविदाओं की संख्या की घोषणा करेगा।

(6) एक बार प्रस्तुत की गयी कोई निविदा, साठ दिन के अवसान के पूर्व या जब तक उस क्षेत्र या क्षेत्रों के सम्बन्ध में कोई बोली या निविदा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकार न की जाय, वापस नहीं ली जायेगी।

(7) नीलामी और निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया यथा सम्भव वही होगी, जैसा नियम 27 और 27–क में विनिर्दिष्ट है।

G 27–ग ई–निविदा सह ई–नीलामी द्वारा पट्टे की स्वीकृति की प्रक्रिया :

1–ऑन लाईन पंजीकरण की कार्यवाही :

(1) राज्य क्षेत्रान्तर्गत चिन्हित उप खनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) लाटों को निजी व्यक्तियों/निजी व्यक्तियो की

कॉपरेटिव समिति/फर्म/कम्पनी को परिहार पर स्वीकृत करने की प्रक्रिया ऑनलाइन सम्पन्न की जायेगी। खनिज लाटों का आवंटन ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से सम्पन्न किया जायेगा।

(2) उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) पट्टा स्वीकृत होने की समस्त कार्यवाही करने हेतु शासन, निदेशालय व जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किये जायेंगे, जिन्हें डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने होंगे व उनके द्वारा आनलाईन कार्यवाही की जायेगी।

(3) उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) पट्टा संबंधी आशय पत्र, शासनादेश तथा पट्टाविलेख मे यूनीक आई0डी0 नम्बर होगा जिसके आधार पर विभिन्न स्तर के नोडल अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

*(4) इच्छुक आवेदकों के लिए ऑन लाईन बिड/बोली हेतु डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट **(DSC)** होना आवश्यक है।*

*(5) आवेदक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड की वेबसाइट **www.dgm.uk.gov.in** में जाकर अपने आनलाईन पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रकिया में भाग ले सकेंगें।*

(6) पंजीकरण हेतु निजी व्यक्ति/निजी व्यक्तियों की समिति /फर्म/कम्पनी को विभागीय पोर्टल में जाकर ऑन लाईन पंजीकरण प्रपत्र भरकर आवश्यक वांछित अभिलेख स्कैन कर यथा स्थान अपलोड करना होगा व पंजीकरण शुल्क 5,000 (पांच हजार) + जी0एस0टी सहित+ आयकर, विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑन लाईन जमा करने के उपरान्त पंजीकरण प्रपत्र सबमिट करना होगा। ऑन लाईन प्रपत्र सबमिट होने के उपरान्त आवेदक को यूनीक नम्बर स्वतः आवंटित हो जायेगा। निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पंजीकरण प्रपत्रों की जांच करने के उपरान्त ऑन लाईन स्वीकृति प्रदान करते ही आवेदक को विभागीय वेवसाईट पर लॉगइन करने हेतु स्वतः जनित यूजर आई0डी0 तथा पासवर्ड एस0एम0एस0 के माध्यम से जारी कर दिया जायेगा।

***G** (अधिसूचना संख्या 1582,दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 द्वारा संशोधित)*

G *(7) पंजीकरण हेतु आवश्यक अभिलेखः पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड के पोर्टल* **www.dgm.uk.gov.in** *पर यथास्थान अपलोड करना अनिवार्य होगाः–*

(एक) आवेदक का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामलें में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का **Director Identification Number (DIN)** *के प्रमाण–पत्र की प्रति तथा कॉपरेटिव सोसाइटी के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव का मतदाता पत्र।*

(दो) स्थायी निवास प्रमाण पत्र।

(तीन) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, समिति व फर्म के मामले में भागीदारों के इस आशय का शपथ पत्र कि समिति या कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नही किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहॉ आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हों।

(चार) आवेदक के पैन कार्ड की प्रति।

(पांच) आवेदक के जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।

(छः) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई–निविदा सह ई–नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक व शाखा का नाम, खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति,

(सात) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का जारी किया गया खनन अदेयता प्रमाण पत्र। जहॉ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता हो, वहॉ इस आशय के शपथ पत्र की प्रति।

(आठ) कोपरेटिव सोसाइटी के सम्बन्ध में कॉपी ऑफ रेज्यूलेशन के समस्त पृष्ठों की स्वप्रमाणित प्रति। भागीदारी फर्म के सम्बन्ध में भागीदारी विलेख एवं फर्म के पंजीकरण। कम्पनी के मामले में आर्टिकल ऑफ एसोशियेशन की प्रति।

(नौ) किसी भी राज्य में खनन संक्रियाओं की काली सूची में न होने सम्बन्धी शपथ पत्र।

(8) पंजीकृत बोलीदाता को विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण अपडेट रखने की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु पंजीकृत बोलीदाता को चरित्र प्रमाण पत्र एवं खनन अदेयता प्रमाण पत्र आदि सदैव अद्यतन रखने आवश्यक होगें अन्यथा की स्थिति में पंजीकृत बोलीदाता का पंजीकरण स्वतः निलम्बित हो जायेगा तथा ऐसा निलम्बित पंजीकृत बोलीदाता ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रक्रिया से बाहर हो जायेगा। अतः पंजीकृत बोलीदाता को अपना पंजीकरण समय–समय पर नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा।

(9) पंजीकरण का नवीनीकरण वार्षिक शुल्क रू0 1,000 (एक हजार)+ जी0एस0टी सहित+ आयकर, विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑन लाईन देय होगा।

(10) ई–निविदा सह ई–नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु आवश्यक अन्य अभिलेख एवं धनराशि :

1. *शुल्क– ई–निविदा सह ई–नीलामी में इच्छुक प्रतिभागी खनिज लाट हेतु निर्धारित शुल्क मैदानी क्षेत्रों के लिये रू0 1,00,000/–(रू0 एक लाख मात्र) तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिये 50,000/– (रू0 पचास हजार मात्र) विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा कराकर एवं* **GST** *व आयकर आगणित कर संबंधित विभागों के लेखाशीर्षक में जमाकराकर चलान/रसीद की स्कैन प्रति अपलोड कर प्रेषित की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आवेदक का होगा। निर्धारित शुल्क विज्ञप्ति में प्रकाशित खनन लॉटवार पृथक–पृथक जमा किया जाना होगा।*
2. *धरोहर राशि (**Earnest Money**): किसी क्षेत्र के ई–निविदा सह ई–नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री बिड **Earnest Money** जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना क्षेत्र में वार्षिक*

G *(अधिसूचना संख्या 1582,दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 द्वारा संशोधित)*

G आंकलित खनन योग्य अधिकतम मात्रा एवं उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) की वर्तमान प्रचलित रायल्टी दर का गुणा कर आगणित की जायेगी। उपखनिज क्षेत्रों हेतु प्री बिड **Earnest Money** उपरोक्त आगणित धनराशि की 25 प्रतिशत होगी।

उदाहरणार्थः– धरोहर राशि **(Earnest Money)** =खनिज क्षेत्र की अधिकतम खनन योग्य आंकलित मात्रा x प्रचलित रॉयल्टी दर का 25 प्रतिशत।

3. हैसियत प्रमाण पत्र– वार्षिक आंकलित खनन योग्य अधिकतम मात्रा का तत्समय प्रचलित रायल्टी के गुणांक का 25 प्रतिशत धनराशि निम्नानुसार प्रारूप में देय होगा :–

जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई हैसियत प्रमाण पत्र या सम्पत्ति प्रमाण–पत्र या समाशोधन क्षमता प्रमाण–पत्र **(Solvency Certificate)** अथवा बैंक गारण्टी क्षेत्र की वार्षिक आंकलित खनन योग्य अधिकतम मात्रा पर प्रचलित खनिज रॉयल्टी के गुणांक का 25 प्रतिशत के बराबर।

उदाहरणार्थः–हैसियत=खनिज क्षेत्र की अधिकतम खनन योग्य आंकलित मात्रा X प्रचलित रॉयल्टी दर का 25 प्रतिशत।

या

यदि हैसियत प्रमाण–पत्र अद्यतन न हो तो, इस शर्त के साथ अन्तरिम रूप से स्वीकार किया जायेगा कि आवेदक इसका शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि इस दौरान (हैसियत प्रमाण–पत्र की तिथि से अद्यतन) नीलामी बोलीदाता के द्वारा संलग्न हैसियत प्रमाण पत्र में अंकित चल/अचल सम्पत्ति का विक्रय/हस्तान्तरण नहीं किया गया है

या

हैसियत प्रमाण–पत्र के एवज में इसी मूल्य की बैंक गारण्टी स्वीकार की जा सकेगी

या

यदि किसी आवेदक के पास अचल सम्पत्ति नहीं है, तो वह अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों की सम्पत्ति को लाईसेंसिग प्राधिकारी के नाम बन्धक **(Mortgage)** कर हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है

या

हैसियत प्रमाण पत्र की राशि में कमी की राशि के एवज में कमी की राशि के बराबर राशि एफ0डी0आर0 (नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने) जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के नाम प्रतिश्रुत होंगे, जमा कराये जा सकेंगे।

उपरोक्तानुसार हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति।

(11) ई– निविदा सह ई–नीलामी की प्रक्रियाः–

विज्ञप्ति का प्रकाशन : घोषित रिक्त उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) क्षेत्रों को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से खनन पट्टे पर दिये जाने के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। विज्ञप्तिऐसे दो दैनिक हिन्दी समाचार पत्र जिसका उस क्षेत्र में व्यापक परिचालन हो, जिसमें वह क्षेत्र स्थित हो, प्रकाशित की जायेगी तथा ई–निविदा सह ई–नीलामी हेतु ऑन लाईन आवेदन आमंत्रित किये जायेगें तथा विज्ञप्ति को ई–नीलामी पोर्टल "uktenders.gov.in" के साथ–साथ विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभाग के मुख्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, विभाग के जनपद स्तरीय कार्यालय तथा

तहसील के सूचना पट पर विज्ञप्ति चस्पा की जायेगी जिसमें वह खनन क्षेत्र अवस्थित है। राष्ट्रीय नीलामी के प्रकरणों में दो दैनिक सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। प्रथम चरण में

G (अधिसूचना संख्या 1582,दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 द्वारा संशोधित)

G ई–निविदा की अधिकतम निकासी मात्रा का आगणन भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा किया जायेगा। उक्त अधिकतम आगणित निकासी मात्रा की 50 प्रतिशत मात्रा को न्यूनतम निकासी मात्रा कहा जायेगा।

<u>प्रथम चरण</u> :–

1. प्रथम चरण में ई–निविदा की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी जिस हेतु इच्छुक बोलीदाता द्वारा विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत ई–निविदा आनलाइन प्रस्तुत की जानी होगी। विज्ञप्तिकरण में उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) क्षेत्र की न्यूनतम निकासी एवं अधिकतम निकासी की मात्रा वर्तमान एक खनन सत्र हेतु प्रकाशित की जायेगी।
2. प्रथम चरण में, इच्छुक निविदादाता द्वारा ऑन लाईन ई–निविदा हेतु न्यूनतम निकासी मात्रा से अधिक मात्रा,परन्तु अधिकतम निकासी मात्रा से अनाधिक निविदा ही अंकित की जा सकती है। न्यूनतम निकासी मात्रा से अधिक मात्रा अंकित करने वाले तीन निविदादाताओं का होना आवश्यक होगा। न्यूनतम घोषित मात्रा से अधिक मात्रा अंकित करने वाले निविदादाताओं की संख्या अधिक होने की दशा में उच्चतम पांच मात्रा प्रस्तुत करने वाले निविदादाताओं को सफल घोषित किया जायेगा।
3. किसी चुगान क्षेत्र के लिए उच्चतम पांच, अधिकतम मात्रा दी गयी निविदा वाले, निविदा दाताओं का निर्धारण किये जाने में यदि किसी निश्चित उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) मात्रा के लिए दो या दो से अधिक निविदायें प्राप्त होती है तो उसके अनुसार अधिकतम पांच उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) मात्राओं के लिए निविदा देने वाले सभी निविदादाताओं को अगले चरण हेतु Qualify किया जायेगा।
4. क्षेत्रफल के आधार पर बिन्दु संख्या –ख (8) में वर्गीकृत वर्गो में वांछित न्यूनतम वर्णित अर्ह बोलीदाता उपलब्ध न होने की दशा में संबंधित उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) क्षेत्र अगले उच्च वर्ग के बोली दाता हेतु 07 दिन की अल्पावधि की विज्ञप्ति के उपरान्त पुनः प्रथम चरण की ई–निविदा प्रक्रिया के उपलब्ध होगा। अगले उच्च वर्ग के अर्ह बोलीदाता द्वारा प्रतिभाग किये जाने ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया पुनः सम्पन्न की जायेगी।
5. प्रथम चरण में ई–निविदा में प्राप्त अधिकतम चाही गयी अंकित मात्रा को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 में तत्समय प्रचलित रायल्टी की दर से गुणा कर द्वितीय चरण की ई–नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) निर्धारित किया जायेगा।

   उदाहरणार्थ :– न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) = प्रथम चरण में ई–निविदा में प्राप्त सर्वोच्च घोषित मात्रा **x** तत्समय प्रचलित रायल्टी की दर।
6. उच्चतम पांच उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) मात्रा प्रस्तुत करने वाले सफल निविदादाताओं का निर्धारण कर विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।
7. अन्य ई–निविदादाताओं की प्री बीड अर्नेस्ट मनी वापस कर दी जायेगी।

<u>द्वितीय चरण</u>–

1. प्रथम चरण कें सफल ई–निविदादाता, द्वितीय चरण की ई–नीलामी के लिए निर्धारित न्यूनतम बोली की धनराशि (Floor price) के ऊपर ऑन लाईन नीलामी बोली, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि एवं समयावधि के अन्तर्गत प्रस्तुत करेंगे। इस चरण के अन्तर्गत प्रथम चरण के सफल घोषित ई–निविदादाता अपने यूजर आई0डी0 एवं डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से लागइन कर द्वितीय चरण की ई–नीलामी प्रक्रिया में आनलाईन प्रतिभाग कर सकेंगे।
2. प्रत्येक बोलीदाता को आधार मूल्य (Floor price) का 0.5 (दशमलव पांच) प्रतिशत कीवृद्धि के साथ अग्रेत्तर उच्चतर बोंली प्रस्तुत करने की बाध्यता होगी।

G (अधिसूचना संख्या 1582,दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 द्वारा संशोधित)

G सभी प्रतिभागी बोलीदाताओं की पहचान परस्पर गुप्त रखी जायेगी तथा ई–नीलामी की समस्त प्रक्रिया की उच्चतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी जो गतिशील रहेगी एवं अगली उच्चतर बोली प्राप्त होते ही परिवर्तित होती रहेगी। एक समय की उच्चतम बोली सभी प्रतिभागियों को उनके स्क्रीन पर प्रदर्शित होती रहेगी। प्रतिभागी परस्पर उच्चतर बोलियां प्रस्तुत कर पूर्व निर्धारित समयान्तर्गतकई बार प्रतिभाग कर सकते हैं।

3. .ई–नीलामी की ऑन लाइन प्रक्रिया में स्क्रीन पर समय–समय की अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाईन ही दी जा सकती है। पूर्व निर्धारित समय पूर्ण होते ही बोली की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नही दी जा सकती है। परन्तु, बोली के पूर्व निर्धारित समय के अन्तिम पांच मिनट के अन्तर्गत यदि कोई उच्चतर बोली प्राप्त होती है, तो नीलामी की बोली का समय स्वतः अग्रेत्तर पांच मिनट की समयावधि आगणित कर उस अवधि तक के लिए बढ़ जायेगी। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक पांच मिनट के अन्तराल के अर्न्तगत में कोई अन्य अग्रेत्तर उच्च बोली प्राप्त नही होती है।

द्वितीय चरण की बोली समाप्त होने के उपरान्त ई–नीलामी में अधिकतम बोली प्रस्तुत करने वाले बोलीदाता को उच्चतम बोलीदाता (H1) घोषित किया जायेगा तथा अन्य बोलीदाताओं को अवरोही क्रम में H2, H3, H4….घोषित किया जायेगा। ई–निविदा सह ई–नीलामी का परिणाम विभागीय बैवसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

28– पट्टे का दिया जाना :–

(1) यथास्थिति, जिला अधिकारी या समिति नीलाम के मामले में सबसे ऊची बोली निविदा के मामले में उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करेगा/करेगी और नीलाम और निविदा के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को स्वीकार करेगा/करेगी जो सबसे ऊंचा हो। स्वीकार किये जाने का एक पत्र उस व्यक्ति को दिया जायेगा, जिसकी बोली का प्रस्ताव स्वीकार किया जायः–

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर नीलाम में या निविदा में किसी अन्य बोली या किये गये अन्य प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती हैः–

(क) पिछड़ा अनुभव;

(ख) वित्तीय संसांधन;

(ग) बोली जाने वाले द्वारा सेवायोजित किये जाने वाले प्राविधिक कर्मचारी वर्ग का प्रकार और उनकी विशेषता;

(घ) किसी पूर्ववर्ती पट्टे या अनुज्ञा–पत्र के आधार पर खनन संक्रियाओं का कार्यान्वित करने में, और ऐसे पट्टे या अनुज्ञा–पत्र की शर्तों या उसके सम्बन्ध में किसी के उपबन्धों का पालन करने में, बाली बोलने वाले का आचरण और

(ड) ऐसे अन्य विषय जिन्हें राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाय।

(2) यदि जिला अधिकारी या समिति की राय में निविदा में कोई बोली या प्रस्ताव सन्तोषजनक न हो, तो यथास्थिति वह निविदाओं में सभी बोलियों या प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है/कर सकती है और नये नीलाम की निविदा के लिये उसके कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात आदेश दे सकता है/दे सकती है।

G 28.क– ई–निविदा सह ई नीलामी से पट्टे का दिया जाना :

1. द्वितीय चरण की बोली समाप्त होने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गयी वार्षिक ई–नीलामी बोली धनराशि का दस प्रतिशत (10%) "सफल बोलीदाता धनराशि" तीन दिन के अन्तर्गत विभागीय payment gate way के माध्यम से ऑन–लाईन जमा करने के उपरान्त सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा।
2. H1 के असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए कोटिक्रम में द्वितीय ई–नीलामी बोलीदाता H2 को उसकी बोली के मूल्य का दस प्रतिशत कार्य दिवसों के अन्तर्गत जमा कराये जाने का अवसर प्रदान कराया जायेगा, उसके भी असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुए उत्तरोत्तर कोटिक्रम का अनुपालन करते हुए अन्तिम सफल बोलीदाता तक प्रक्रिया सम्पन्न कर सफल पाये गये सफल ई–नीलामी बोलीदाता की घोषणा निदेशक द्वारा की जायेगी। सभी ई–नीलामी बोलीदाताओं के असफल होने की दशा में उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए ई–नीलामी बोली की प्रक्रिया को समाप्त घोषित किया जायेगा तथा खनन पट्टे हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रक्रिया सात दिन की अल्पावधि की विज्ञप्ति के उपरान्त पुनः प्रारम्भ की जायेगी।
3. सफल ई–नीलामी बोलीदाता द्वारा अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का दस प्रतिशत (10%) "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" (बिन्दु (2) के अतिरिक्त) सात कार्य दिवसों के अन्दर विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑन–लाईन जमा करने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक अर्थात् ऐसा सफल ई–नीलामी बोलीदाता, जो अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का 10 प्रतिशत धनराशि जमा कर दिया हो, घोषित किया जायेगा।
4. प्रस्तर संख्या (1) के अनुसार घोषित उच्चतम बोलीदाता (H1) द्वारा प्रस्तर संख्या (2) व (4) में से किसी स्तर पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यवाही न किये जानें के फलस्वरूप असफल होने की दशा मे बिन्दु संख्या (3) के अनुसार निर्धारित H2 व कोटीक्रमानुसार अवसर प्रदान करते हुये उपरोक्तानुसार वर्णित विधि से खनन पट्टा आवंटन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।
5. प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की जांच के उपरान्त तीन कार्य दिवसों के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित ऑनलाइन आख्या शासन को प्रेषित की जा सकेगी तथा राज्य सरकार द्वारा प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के पक्ष में ऑनलाइन "आशय पत्र" जारी किया जा सकेगा। आशय पत्र क्षेत्र का नियम–17 के प्राविधानानुसार सीमाबन्धन किये जाने तथा खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति, वन भूमि हस्तान्तरण (यदि आवश्यक हो) एन0बी0डब्ल्यू0एल0 (यदि आवश्यक हो) की अनुमति प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा प्राप्त किये जाने हेतु 50.00 है0 तक के क्षेत्रफल हेतु आशय पत्र 06 (छः) माह की अवधि का एवं 50.00 है0 क्षेत्रफल से अधिक हेतु 01 (एक) वर्ष की अवधि का निर्गत किया जायेगा।
6. आशय पत्र प्राप्त होने के उपरान्त वन भूमि के संबंध में सर्वप्रथम प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन वन भूमि हस्तान्तरण संबंधी अनुमति, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त की जायेगी।
7. प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को विभाग द्वारा अधिकृत आर0क्यू0पी0 से खनन योजना तैयार कराकर व निर्धारित लेखा शीर्षक में खनन योजना अनुमोदन शुल्क जमा कर निदेशक को आनलाईन प्रस्तुत की जायेगी। निदेशक द्वारा सात दिन के अन्दर खनन योजना का अनुमोदन किया जा सकेगा।

G (अधिसूचना संख्या 1582, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 द्वारा संशोधित)

8. **G** प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को खनन पट्टा हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा आशय पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance) प्राप्त करनी होगी।

9. राष्ट्रीय पार्क के संबंध में, तत्समय प्रचलित प्राविधानों के अनुसार, दूरी के निर्धारित मानकों के अन्तर्गत पड़ने वाले खनन पट्टा क्षेत्रों हेतु एन0बी0डब्ल्यू0एल0 की अनुमति पट्टाधारक द्वारा प्राप्त की जानी होगी।

10. प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा विभिन्न स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण न किये जाने की दशा में यह माना जायेगा कि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक पट्टा लेने की मंशा नहीं रखता है तथा इस स्थिति में आशय पत्र निरस्त करते हुए पूर्व के समस्त जमा अग्रिम धनराशि एवं बैंक गारन्टी आदिजब्त कर राज्य सरकार के पक्ष में समाहित कर दिया जायेगा। ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिस स्तर पर कार्यवाही रूकी हो, उससे अग्रेत्तर कार्यवाही के सम्बन्ध में अथवा पुनः विज्ञापित किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

11. शासन, मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होगें।

12. सफल बोंलीदाता द्वारा खनन पट्टा के संबंध में की जा रही कार्यवाही के दौरान आकस्मिक निधन अथवा गम्भीर आशक्त होने की दशा में अग्रेत्तर कार्यवाही उनके विधिक वारिस द्वारा की जा सकेगी।

13. प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा अधिकृत **Registered Qualified personnel (RQP)** से तैयार कराकर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म से अनुमोदित करायी जानी होगी, जिसमें निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा तथा उक्त खनिज का तकनीकी एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से खनन संक्रियायें संचालित किये जाने की विधि का वर्णन निहित होगा। खनन योजना में खनन क्षेत्र के डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेटस का वर्णन व जियोरैफरेनस्ड खसरा मानचित्र पर अंकन किया जाना होगा तथा खनन क्षेत्र में समाहित यथा स्थिति राजस्व भूमि, वन भूमि व निजी नाप भूमि के स्वामियों का क्षेत्रफल वार राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित वर्णन, संलग्न किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त सौ मीटर की परिधि में आने वाली सभी सार्वजनिक स्थलों, समीपस्थ पुलों को प्रदर्शित करता 1:10,000 का सैटेलाईट मानचित्र संलग्न करना होगा जिसमें नदी की अद्यतन सीमा स्पष्ट रूप से चिन्हित हो तथा नदी के दोनों किनारों से निर्धारित दूरी छोड़ते हुए चिन्हित किया गया खनन योग्य क्षेत्रफल स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो। किसी भी खनन क्षेत्र के कोनों के डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेट्स आवश्यक रूप से अभिलिखित होगे व बडे खनन क्षेत्रों की दशा में प्रत्येक सौ मीटर की दूरी पर डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेट्स अंकित किये जाने होगें। राजस्व एवं सैटेलाईट मानचित्र पर यथास्थिति राजस्व, वन भूमि एवं निजी नाप भूमि को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाना होगा। समस्त मानचित्रों की डिजिटल प्रति भी प्रेषित की जानी होगी।

14. प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के अलावा द्वितीय चरण के अन्य प्रतिभागियों (जब्त सुदा को छोडकर)की प्री–बीड अर्नेस्ट मनी वापिस कर दी जायेगी।

15. (क) राज्य में अधिकतम पॉच खनन पट्टे या 400 है0 से अधिक के चुगान/खनन क्षेत्र को किसी एक व्यक्ति/फर्म/समिति/कम्पनी /सोसाइटी आदि के पक्ष में स्वीकृत नही किया जायेगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/समिति/कम्पनी/सोसाइटी आदि द्वारा अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400है0 से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो बडे खनन पट्टा क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल के खनन पट्टा क्षेत्रों के क्षेत्रफल को जोडा जायेगा व 400 है0 पूर्ण होने पर अवशेष पट्टो हेतु अर्हता समाप्त

G (अधिसूचना संख्या 1582, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 द्वारा संशोधित)

G मानी जायेगी व उक्त क्षेत्र समर्पित माने जायेंगे। इस प्रकार समर्पित हुए उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) क्षेत्रों के लिए H2 व कोटिक्रमानुसार कार्यवाही की जायेगी, परन्तु किसी खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल 400 है0 से अधिक है तो उक्त दशा में एक व्यक्ति/फर्म/ कम्पनी/सोसाइटी आदि को एक खनन पट्टा स्वीकृत हो सकेगा।

(ख) एक व्यक्ति/फर्म/समिति/कम्पनी/ सोसाइटी आदि को विभाग द्वारा आगणित अधिकतम आधार मूल्य के 25 प्रतिशत हैसियत के अनुरूप ही खनन पट्टा/पट्टे आवंटित किये जा सकेगें यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत हैसियत उसके सफल हुये खनन पट्टो से कम आगणित पायी जाती है तो उपरोक्तानुसार शेष सफल घोषित खनन पट्टो के लिए उसकी अर्हता समाप्त कर दी जायेगी तथा ऐसे अवशेष खनन पटटो के प्रस्तर 9 क के अनुसार अग्रेत्तर आवंटन कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

16. आशय पत्र निर्गत होने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा अधिकतम वार्षिक ई–नीलामी बोली का पच्चीस प्रतिशत धनराशि "धरोहर धनराशि (Security Money)" समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराये जाने हेतु आशय पत्र में निर्धारित समयावधि के लिए बैंक गारन्टी के रूप में निदेशक के पक्ष में सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत बन्धक करायी जायेगी। धरोहर धनराशि जमा करने बाद प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा जमा की गई प्री–बिड अर्नेस्ट मनी वापिस कर दी जायेगी। बैक गारन्टी की स्कैन कॉपी सात कार्य दिवसों के अन्तर्गत विभागीय वैबसाईट पर लॉग इन कर प्रेषित की जानी आवश्यक होगी तथा मूल प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में जमा करायी जानी होगी। यदि निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत समस्त औपचारिकतायें पूर्ण नहीं होती हैं या अग्रेत्तर समयवृद्धि राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की जाती है, तो जमा बैंक गारन्टी की धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

17. (क) यदि आशय पत्र में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा वांछित औपचारिकताऐं पूर्ण नहीं की जाती हैं तो प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा आशय पत्र के नवीनीकरण हेतु आशय पत्र में स्वीकृत अवधि की समाप्ति से न्यूनतम पन्द्रह कार्य दिवस से पूर्व ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।

(ख) पचास हैक्टेयर के प्रोस्पैक्टिंग पट्टाधारक के आशय पत्र का छः माह के उपरान्त बिना किसी अतिरिक्त देयक के आनलाइन नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आगामी अधिकतम छः माह हेतु नवीनीकृत किया जा सकेगा किन्तु आशय पत्र जारी होने के एक वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त यदि आशय पत्र के अग्रेत्तर नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी दशा में उसके द्वारा ई–नीलामी के उच्चतम बोली का 20 प्रतिशत धनराशि पुनः जमा की जानी होगी और पूर्व प्रस्तुत 25 प्रतिशत बैंक गारन्टी को नवीनीकृत कराकर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में बन्धक के रूप में जमा कराना होगा। उक्त प्रक्रिया में अग्रेत्तर वर्ष पूर्ण होने पर समान रूप से लागू करते हुए आशय पत्र का नवीनीकरण किया जा सकेगा। इसी प्रकार 50 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के आशय पत्र नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत करने पर ई–निलामी की उच्चतम बोली का 20 प्रतिशत धनराशि पुनः जमा की जानी होगी और पूर्व प्रस्तुत 25 प्रतिशत बैंक गारन्टी को नवीनीकृत कराकर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में बन्धक के रूप जमा कराना होगा। निदेशक द्वारा आवेदन पत्र का आनलाइन परीक्षण कर दस कार्य दिवसों के अन्तर्गत अपनी संस्तुति/असंस्तुति सहित आख्या आनलाइन शासन को प्रेषित की जा सकेगी। निदेशक की संस्तुति/असंस्तुति पर शासन द्वारा आनलाईन आशय पत्र का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

G (अधिसूचना संख्या 1582, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 द्वारा संशोधित)

G प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा विभिन्न स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण न किये जाने की दशा में यह माना जायेगा कि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक पट्टा लेने की मंशा नहीं रखते हैं व इस स्थिति में आशय पत्र निरस्त करते हुए पूर्व मे जमा की गयी अग्रिम धनराशि तथा बैक गारन्टी राज्य सरकार के पक्ष में समाहित कर दी जायेगी।

18. आशय पत्र में उल्लिखित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा समस्त अभिलेख निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पोर्टल पर ऑन लाईन जमा कराया जायेगा। निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेखों का ऑन लाईन परीक्षण करने के उपरान्त, यदि किसी प्रकार की कमी या आपत्ति पायी जाती है, तो निदेशक द्वारा पट्टाधारक को उक्त का निश्चित समयान्तर्गत निराकरण किये जाने हेतु ऑन लाईन अवगत कराया जायेगा। प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा कमियों एवं आपत्तियों का निरकारण आन लाईन किये जाने के उपरान्त, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की ऑन लाईन संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा, खनन पट्टे के आशय पत्र में स्वीकृत कुल अवधि में से अवशेष अवधि हेतु, खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी आदेश आन लाईन निर्गत किया जा सकेगा।

29– पट्टा विलेख का निष्पादन :

(1) सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति संबंधी आदेश जारी होने के उपरान्त **Performance guarantee** अर्थात् स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु अधिकतम वार्षिक ई–नीलामी बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत, निर्धारित विभागीय पेमेन्ट गेटवे के द्वारा सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत जमा किया जायेगा। वार्षिक नीलामी धनराशि का पच्चीस प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप में जमा की जायेगी, जिसका समायोजन पट्टे के अन्तिम वर्ष में उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) निकासी मात्रा के सापेक्ष किया जायेगा। **Performance guarantee** जमा किये जाने के बाद आशय पत्र निर्गत किये जाने के समय जमा कराई गई धरोहर राशि (बैंक गारन्टी) अवमुक्त कर दी जायेगी। निदेशक द्वारा सात कार्य दिवसों के अनतर्गत पट्टाविलेख तैयार कर ऑनलाईन प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को प्रेषित किया जा सकेगा, जिसकी सूचना जनपद एवं शासन के नामित नोडल अधिकारी को भी ऑनलाइन होगी। प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा पट्टाविलेख प्रारूप को डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रतियां संबंधित जिलाधिकारी को हस्ताक्षर किये जाने हेतु जनपदीय विभागीय अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, विभागीय अधिकारी हस्ताक्षर के उपरान्त जिलाधिकारी को दो कार्य दिवसों के अन्तर्गत प्रस्तुत की जा सकेगी। जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत पट्टाविलेख हस्ताक्षरित कर पट्टाधारक को उपलब्ध करायी जा सकेगी।

(2) पट्टे की अवधि की सगणना आशय पत्र निर्गत हाने की तिथि से की जायेगी।

(3) यथास्थिति, जिलाधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित पट्टा विलेख को पट्टाधारक द्वारा उक्त पट्टा विलेख का सम्बन्धित जनपद में पंजीकृत कराकर हार्ड एवं स्कैन प्रति जनपदीय विभागीय अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। जनपदीय विभागीय अधिकारी द्वारा स्कैन कॉपी निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को प्रेषित करनी होगी तथा निदेशक द्वारा शासन को संसूचित किया जायेगा।

G (अधिसूचना संख्या 1582, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 द्वारा संशोधित)

E *29.क खनिज निकासी हेतु सामान्य अनुदेश :–*

1- *"खनन पट्टे के अधीन किसी क्षेत्र की लम्बाई साधारणतया उसकी चौड़ाई के चार गुना से अधिक न हो तथा उप–खनिज का खनन/चुगान अधिकतम 3.0 मी0 (तीन मीटर) की गहराई या* ***Underground Water Lable*** *जो भी न्यून हो तक किया जायेगा।"*

E *(अधिसूचना संख्या 334, दिनांक 04 मार्च, 2020 द्वारा संशोधित)*

2- **G** *ई–निविदा सह ई–नीलामी द्वारा नदी तल उपखनिजों के एवं स्वस्थानें चट्टान (सोपस्टोन को छोड़कर) से निकलने वाली निर्माण सामग्री के चुगान/खनन पट्टा अधिकतम 05 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। स्वस्थानें प्रकृति के औद्योगिक उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) के खनन क्षेत्र, जिनका क्षेत्रफल 2.00 है0 से 5.00 है0 हेतु 10 वर्ष, 5.00 है0 से 10 है0 तक 15 वर्ष तथा 10 है0 से अधिक क्षेत्रफल हेतु 25 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे।*

3- *पट्टे की अवधि की गणना आशय पत्र जारी होने की तिथि से की जायेगी।*

4- *ई– निविदा सह ई–नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली की धनराशि प्रथम वर्ष हेतु पट्टा धनराशि होगी। ई–निविदा सह ई–नीलामी में प्राप्त उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) की कुल मात्रा व बोली की धनराशि के आधार पर उक्त खनन क्षेत्र के उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) की प्रतिटन देय धनराशि निर्धारित होगी।*

5- *खनन योजना व पर्यावरणीय अनुमति आदि में संबंधित क्षेत्र की खनिज मात्रा उच्चतम बोली से भिन्न होने की स्थिति में बिन्दु संख्या ख(4) के अनुसार आगणित प्रतिटन देय रायल्टी के द्वारा पट्टा धनराशि पट्टे हेतु आगणित की जायेगी।*

6- *खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षो में पिछले वर्ष की पट्टा धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि कर उस वर्ष हेतु पट्टा धनराशि आगणित की जायेगी व बिन्दु ख (4) के अनुसार प्रतिटन रायल्टी धनराशि निर्धारित होगी।*

7- *नदी तल के क्षेत्र हेतु राज्य में रिक्त साधारण बालू, बजरी, बोल्डर के खनन/चुगान लॉटों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है :–*

(एक) पर्वतीय क्षेत्र : पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर पिथौरागढ़, जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर व तहसील धनोल्टी का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग छोड़कर), अल्मोड़ा (सम्पूर्ण भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग छोड़कर) जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी क्षेत्र छोड़कर) सम्मिलित हैं।

(दो) मैदानी क्षेत्र : मैदानी क्षेत्र के अन्तर्गत जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर व धनोल्टी का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का

E *(अधिसूचना संख्या 334, दिनांक 04 मार्च, 2020 द्वारा संशोधित)*

G *(अधिसूचना संख्या 1582, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 द्वारा संशोधित)*